न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, एटा।

मूलवाद संख्या–7/2018

दिलशाद –बनाम– श्रीमती सवीना आदि

25.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6सी2 के आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6सी2 पर दिनॉक 23.10.2018 को सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 6सी2 प्रार्थी/वादी दिलशाद की ओर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया कि वादी उपरोक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा योजित किया गया है, जिसमें कामयाबी की पूरी–पूरी आशा है। दावा के अंत में दिये गये नक्शा नजरी में अक्षरांकित स्थल अ,ब,स,द,व,क,ख,ग,घ से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण जबरिया गुण्डा गर्दी के बल पर प्रार्थी/वादी के घर को जाने वाले व्यक्तिगत रास्ता जिसकी चौड़ाई करीब 12 फीट है, जिसको वाद पत्र के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में क,ख,ग,घ से दर्शाया है, को गुण्डा गर्दी के बल पर बन्द करना चाहते है, जिसका कतई वास्ता व सरोकार, प्रतिवादीगण को नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस बेजामंशा में कामयाब हो गये तो वादी की अपूर्तिनीय क्षति होगी तथा मंशा दावा भी विफल हो जावेगा। वाद पत्र में दिये गये तथ्यों एवं उसके साथ संलग्न शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा दावा के साथ संलग्न किये गये अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रथम दृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। न्यायहित में दौरान विचारण वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जानी आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी के घर को जाने वाले रास्ता व्यक्तिगत जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र के अन्त में दिया गया है में अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शाया गया है, को स्वयं, नौकरों, एजेण्टों, मददगीरों, रिश्तेदारों या अन्य किसी मार्फत उस पर कब्जा कर नष्ट भ्रष्ट न करें और न वादी के शांतिपूर्ण आवागमन में हस्तक्षेप पैदा करें। अतः प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं, नौकरों, एजेण्टों, मददगीरों, या अन्य किसी मार्फत वादी के आवागमन हेतु रास्ता व्यक्तिगत में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें और न उसे नष्ट भ्रष्ट करें।

प्रार्थना पत्र 6सी2 पर प्रतिवादिनी संख्या–1 श्रीमती सवीना के द्वारा आपत्ति कागज संख्या 24सी2 प्रस्तुत किया गया है

तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कतई गलत खिलाफ कानून एवं खिलाफ वाक्यात है, जो कि खारिज होने योग्य है। वादी को कोई वाद कारण उपरोक्त वाद दायर करने का उत्पन्न नहीं है। वादी माननीय न्यायालय को गलत तथ्य बताकर एवं गुमराह करके अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, जो हरगिज सम्भव नहीं है, क्योंकि वादी विवादित गाटा संख्या 1020/0.055 है0, स्थित ग्राम मकसूदपुर, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा की आढ़ में ग्राम समाज की जगह गाटा संख्या 1015/0.222 है0 जिसमें कब्रिस्तान है तथा गाटा संख्या 1016/0.2020 है0 जिसमें तालाब (पोखर) है, जो ग्राम समाज की जगह है, जिसे समस्त ग्रामवासी अपने प्रयोग में लाते हैं, जिस पर वादी उपरोक्त वाद की आढ में नाजायज कब्जा कर उपरोक्त गाटाओं की भूमि को घेर कर उसपर निर्माण कर अपने प्रश्नगत मकान में सम्मिलित करना चाहता है, जिसे कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त गाटा संख्या 1015, 1016 ग्राम समाज की भूमि है, जिससे वादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार कभी नहीं रहा और न वर्तमान में है, फिर भी वादी नाजायज तरीके से उपरोक्त दोनों गाटाओं की भूमि पर उपरोक्त दावा की आढ में नाजायज कब्जा करने की फिराक में है, अगर वादी अपने नाजायज कृत्य में सफल हो जाता है तो समस्त ग्राम वासियों की सख्त हकतलफी व अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किसी भी सूरत में नहीं हो सकेगी तथा समस्त ग्रामवासी गाटा संख्या 1015 व 1016 की भूमि को भविष्य में प्रयोग करने से वंचित हो जावेगें। वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है और न वादी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति है और न होगी, क्योंकि वादी के प्रश्नगत मकान का रास्ता दूसरी तरफ यानि जिस तरफ विद्यालय संचालित है, जो पूरब ओर स्थित है, उस तरफ शुरू से लेकर आज तक है, जिसमें से वादी सपरिवार आज भी आमोदरफ्त करता चला आ रहा है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कानूनन निरस्त होने योग्य है। वादी ने उपरोक्त वाद में स्पष्ट कथन न करते हुए अस्पष्ट एवं अधूरे व गलत कथन करते हुए उपरोक्त वाद दायर किया है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है और न वादी स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय हाजा आया है तथा शपथ पत्र में लिये गये आधारों पर वादी कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थना पत्र 6सी2 पर प्रतिवादीगण संख्या–2 लगायत 4 के द्वारा आपत्ति कागज संख्या 51सी2 प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र 6सी2

वादी ने कतई गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है, जो किसी भी सूरत में काबिले कायमी व काबिले इत्मीनान नहीं है। वादी हरगिज गाटा संख्या 1020 अथवा 1020क रकबई 0.055 है0 का मालिक व काबिज नहीं है। वादी ने वाद पत्र में तथा शपथ पत्र में अपनी भूमि का नम्बर कतई गलत अंकित किया है और कथित रास्ता हरगिज गाटा संख्या 1020 अथवा 1020क अथवा 1020क1 के किसी रकबे में स्थित नहीं है, बल्कि कथित वादी के रकबे में वादी का मकान बना है, जिसका दरवाजा पूरब ओर स्कूल के सामने है, जहॉ से वादी आता–जाता है। नक्शा नजरी वाद पत्र में क,ख,ग,घ से प्रदर्शित जगह तथा उसके पूरब व उत्तर–दक्षिण की जगह गाटा संख्या 1015 व 1016 कब्रिस्तान व पोखर/तालाब की है, हरगिज गाटा संख्या 1020 की नहीं है। जवाब व प्रतिवाद पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन ही वादी के पक्ष में है और वादी को प्रार्थना पत्र खारिज होने में प्रतिवादीगण की अपेक्षा कोई हानि तुलनात्मक नहीं होगी, क्योंकि वादी के पास आवागमन हेतु उसके मकान के पूरब ओर पर्याप्त रास्ता मौजूद है। ववजूहात वाला प्रार्थना पत्र 6सी2 वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 6सी2 पर प्रतिवादी संख्या–5 अलीम खॉ के द्वारा आपत्ति कागज संख्या 54सी2 प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि वादी ने प्रश्नगत अन्तरिम व्यादेश हेतु आवेदन 6सी2 पूर्णतः विधि, तथ्य, साक्ष्य एवं अभिलेख के विपरीत मनगंढंत निराधार प्रस्तुत किया है, जो न्यायहित में संधारणीय नहीं है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा व सन्तुलन का अधिकार व प्रतिवादीगण के स्वत्व की तुलना में कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है। वादी विवादित स्थल तथाकथित भूमि गाटा संख्या 1020/0.055 है0 उसपर बने मकान, नींव एवं तथाकथित विवादित/प्रश्नगत व्यक्तिगत/लोकमार्ग का अनन्य स्वामी अध्यासी स्वत्व उपभोगाधिकारी नहीं है। विवादित स्थल पर कदापि कोई भी प्रश्नगत लोकमार्ग या वादी का व्यक्तिगत मार्ग नहीं है और न था और न वैधानिक रूप से ही हो सकता है। वादी के मकान गाटा संख्या 1020/0.0550 है0 के पश्चिम सार्वजनिक कब्रिस्तान गाटा संख्या 1015/0.2220 एवं पोखर गाटा संख्या 1016/0.202 है0 व प्रतिवादी की कृषि भूमि गाटा संख्या 994/1.1380 एवं 995/0.1010 है0 है। विवादित स्थल अवैध अनाधिकृत अतिक्रमण व अतिचार है, जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विध्वंस कर स्थिति स्पष्ट की गयी है। वादी का वाद व्य0प्र0सं0 की व्यवस्था 7 नियम 11 एवं प्रान्तर 80 तथा अन्य विधि प्राविधानों से बाधित है। समस्त तथ्य सत्यनिष्ठ प्रतिवाद एवं संलग्न शपथ पत्रों में अभिकथित है। वादी का अन्तरिम व्यादेश प्रश्नगत आवेदन 6सी2 सव्यय निरस्त

होने योग्य है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थना पत्र 6सी2 पर प्रतिवादी संख्या–6 शकील खॉ के द्वारा आपत्ति कागज संख्या 56सी2 प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि वादी ने प्रश्नगत अन्तरिम व्यादेश हेतु आवेदन 6सी2 पूर्णतः विधि, तथ्य, साक्ष्य एवं अभिलेख के विपरीत मनगंढंत निराधार प्रस्तुत किया है, जो न्यायहित में संधारणीय नहीं है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा व सन्तुलन का अधिकार व प्रतिवादीगण के स्वत्व की तुलना में कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है। वादी विवादित स्थल तथाकथित भूमि गाटा संख्या 1020/0.055 है0 उसपर बने मकान, नींव एवं तथाकथित विवादित/प्रश्नगत व्यक्तिगत/लोकमार्ग का अनन्य स्वामी अध्यासी स्वत्व उपभोगाधिकारी नहीं है। विवादित स्थल पर कदापि कोई भी प्रश्नगत लोकमार्ग या वादी का व्यक्तिगत मार्ग नहीं है और न था और न वैधानिक रूप से ही हो सकता है। वादी के मकान गाटा संख्या 1020/0.0550 है0 के पश्चिम सार्वजनिक कब्रिस्तान गाटा संख्या 1015/0.2220 एवं पोखर गाटा संख्या 1016/0.202 है0 व प्रतिवादी की कृषि भूमि गाटा संख्या 994/1.1380 एवं 995/0.1010 है0 है। विवादित स्थल अवैध अनाधिकृत अतिक्रमण व अतिचार है, जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विध्वंस कर स्थिति स्पष्ट की गयी है। वादी का वाद व्य0प्र0सं0 की व्यवस्था 7 नियम 11 एवं प्रान्तर 80 तथा अन्य विधि प्राविधानों से बाधित है। समस्त तथ्य सत्यनिष्ठ प्रतिवाद एवं संलग्न शपथ पत्रों में अभिकथित है। वादी का अन्तरिम व्यादेश प्रश्नगत आवेदन 6सी2 सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त 9सी1 दो किता नकल खतौनी कागज संख्या 10सी1/1 लगायत 10सी1/2, खसरा कागज संख्या 11सी1, छायाप्रति नक्शा कागज संख्या 12सी1, एक किता प्रार्थना पत्र श्रीमान उपजिलाधिकारी कागज संख्या 13सी1 तथा फेहरिस्त 47सी1 से एक किता छायाप्रति प्रार्थना पत्र दिनॉक 25.09.2018 कागज संख्या 47सी1/2 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 32सी1/1 लगायत 32सी1/2 खतौनी, नक्शा कागज संख्या 33सी1, आधार कार्ड 34सी1, फेहरिस्त 42सी1 से एक किता छायांकन सत्यापित भू–मानचित्र जिल्द चकबन्दी मिलान सीट कागज संख्या 42सी1/2, एक किता सत्यप्रति खसरा कागज संख्या 42सी1/3, एक किता सत्यप्रति लिपि खतौनी कागज संख्या 42सी1/5, एक किता

सत्यप्रतिलिपि खसरा कागज संख्या 42सी1/6, फेहरिस्त 48सी1 से तेरह किता कागजात दाखिल किये गये हैं, जिसमें एक किता खसरा कागज संख्या 48सी1/2, खतौनी 48सी1/2, राजस्व ग्राम अचल सम्पत्ति रजिस्टर कागज संख्या 48सी1/4 लगायत 48सी1/5, एक किता नक्शा कागज संख्या 48सी1/6, एक किता कार्यालय उपजिलाधिकारी जलेसर प्रार्थना पत्र कागज संख्या 48सी1/7, एक किता प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कागज संख्या 48सी1/8, एक किता खतौनी कागज संख्या 48सी1/8, एक किता आन लाइन सन्दर्भ जॉच आख्या कागज संख्या 48सी1/9 लगायत 48सी1/11, एक किता आवेदन अवैध कब्जा हटाने का कागज संख्या 48सी1/12 लगायत 48सी1/13, एक किता रिपोर्ट कार्याला तहसीलदार कागज संख्या 48सी1/14 लगायत 48सी1/15, फेहरिस्त 58सी1/1 से एक किता छायांकन नोटेरी द्वारा सत्यापित पत्र तहसीलदार दिनॉकित 14.08.2018 कागज संख्या 58सी1/2, एक किता छायांकन नोटेरी द्वारा सत्यापित आख्या क्षेत्रीय लेखपाल दिनॉकित 06.08.2018 कागज संख्या 58सी1/3, एक किता छायांकन नोटेरी द्व ारा सत्यापित आदेश दिनॉक 29.08.2018 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, एटा मूलवाद संख्या 132/2018 रहीशा बेगम प्रति मौ0 खालिद आदि कागज संख्या 58सी1/4 लगायत 58सी1/5, एक किता छायांकन सत्यापित प्रश्नोत्तर मूलवाद संख्या 132/2018 दिनॉक 14.09.2018 कागज संख्या 58सी1/6, एक किता छायांकन सत्यापित आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दिनॉकित 18.07.2018 कागज संख्या 58सी1/7 दाखिल किये गये हैं।

प्रतिवादिनी संख्या–1 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सलीम भाई व अन्य प्रति महाराष्ट्र सरकार व अन्य 2003(1) 569 (सुप्रीम कोर्ट), तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था राकेश कुमार सिंह व अन्य प्रति सिविल जज (जू0डि0) कैसरगंज बहराइच व अन्य 2016(2) सी0ए0आर0 937 (इलाहाबाद) दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था जगपाल सिंह प्रति पंजाब सरकार, ए0आई0आर0 2011 सुप्रीम कोर्ट 1123 तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था हिंच लाल तिवारी प्रति कमला देवी व अन्य, ए0आई0आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3215 दाखिल की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री वरूण जौहरीकी ओर से मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र 6सी2 पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादी के मकान को वाद पत्र में नक्शा नजरी अ,ब,स,द से दर्शाया गया है, जिसका कि वादी मालिक व स्वामी है। वादी के

मकान तक पहुंचने के लिए वादी का व्यक्तिगत रास्ता बना हुआ है, जिसे वाद पत्र के अन्त में अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शाया गया है। वादी के घर तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है तथा वादी के मकान तक पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा वादी का इसमें इजमेन्ट्री अधिकार है, जिसपर प्रतिवादीगण बाधा पहुंचा रहे हैं तथा वादी के आवागमन को बाधित करना चाहते हैं। वे रास्ते को ध्वस्त करना चाहते है, जिससे वादी का आवागमन बाधित हो जायेगा। वादी के घर से निकलने की कोई अन्य सुविधा नहीं है।

प्रतिवादिनी संख्या–1 श्रीमती सबीना के विद्वान अधिवक्ता श्री महबूब अली के द्वारा मौखिक रूप से बहस करते हुए यह कथन किया गया कि वादी का वाद किसी भी प्रकार से पोषनीय नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है। प्रतिवादिनी संख्या–1 श्रीमती सबीना ग्राम पंचायत मकसूदपुर की ग्राम प्रधान है तथा वादी के द्वारा यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा गाटा संख्या 1020/0.055 है0 स्थित ग्राम मकसूदपुर, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा विरूद्ध प्रतिवादीगण दायर किया गया है। वादी उपरोक्त दावे की आड़ में ग्राम समाज की गाटा संख्या 1015 रकबा 0.022 है0 जिसमें कब्रिस्तान स्थित है तथा गाटा संख्या 1016/0.2020 है0 जिसमें तालाब है, जो भूमि ग्राम समाज की है, पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। उपरोक्त गाटों की भूमि ग्राम समाज की है, जिसपर वादी मुकदमा को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज होने योग्य है। वादी किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 6सी2 खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण संख्या–2 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुहम्मद इरफान की ओर से मौखिक रूप से बहस करते हुए कथन किया गया कि वादी के द्वारा वाद पत्र के पैरा–1 में जो संशोधन किये गये हैं, वे संशोधन वाद पत्र के नकल में नहीं किया गया है। वादी के द्वारा यह संशोधन वाद दायर करने के पश्चात तथा न्यायालय के अनुमति के बिना किये गये है। कोई भी संशोधन प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, जो कि न्यायालय के साथ धोखा देने व सरकारी दस्तावेजों में हेर–फेर करने की कोटि में आता है तथा मुझे वादी व उनके विद्वान अधिवक्ता के विरूद्ध धारा 340 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही करनी है और मुझे उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष देना है। विद्वान अधिवक्ता मुहम्मद इरफान के द्वारा प्रार्थना पत्र 6सी2 पर यह भी आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि

प्रार्थना पत्र 28सी2 व 27सी2 मेरे द्वारा दिया गया है। प्रार्थना पत्र 28सी2 को व 27सी2 को न्यायालय के समक्ष पढ़कर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र 6सी2 पर आपत्ति की गयी तथा यह कथन किया गया कि वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन न्यायोचित नहीं किया गया है तथा मुंसरिम आख्या वाद पत्र की पुष्ट पर गलत प्रकार से अंकित की गयी है, जिससे यह मुकदमा भ्रमित होकर वाद, मूलवाद के रूप में दर्ज हो गया है, जो कानूनन गलत है एवं विधि–विरूद्ध है। मुकदमा मूलवाद के रूप में तब तक नहीं चल सकता जब तक कि न्याय शुल्य पर्याप्त अदा नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र 6सी2 पोषणीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या–6 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0एस0 चौहान के द्वारा प्रार्थना पत्र 6सी2 पर आपत्ति करते हुए मौखिक रूप से कथन किया गया कि वादी के द्वारा रास्ते के बावत वाद दायर किया गया है। वादी ने अपनी सम्पत्ति का या गाटा का वाद दायर नहीं किया है तथा वादी के द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। गाटा संख्या 1016 कब्रिस्तान व 1015 तालाब है। दोनों में रास्ता नहीं हो सकता हैं। अगर कोई रास्ता होता तो उसका नम्बर वादी अवश्य बताता तथा न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करता। वादी के द्वारा अपने अनुतोष में रास्ते के लोकमार्ग के बावत अनुतोष चाहा है, लेकिन वादी के द्वारा रास्ते की कोई लम्बाई–चौड़ाई नहीं बतायी गयी है। कमीशन रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद है, जिसमें स्पष्ट रूप से वादी के घर के पूरब रास्ता कमिश्नर महोदय द्वारा बताया गया है तथा उसके पश्चात पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी अंकित किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि वादी के घर के पूरब की ओर रास्ता है। वादी अवैध रूप से तालाब व कब्रिस्तान की भूमि में रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा है, जो कि वादी का नहीं है, वह सरकारी सम्पत्ति है। जिसके आधार पर वाद में ग्राम समाज व राज्य सरकार को पक्ष मुकदमा बनाया जाना चाहिए था, परन्तु वादी के द्वारा न तो ग्राम समाज को, न ही राज्य सरकार को पक्ष मुकदमा बनाया है। ना ही वादी के द्वारा राज्य सरकार व ग्राम पंचायत को धारा 106 पंचायतीराज एक्ट एवं धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद व प्रार्थना पत्र 6सी2 खारिज किये जाने योग्य है। वादी के द्वारा इस न्यायालय पर दबाव बनाने के आशय से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दाखिल किया गया है, जिससे न्यायालय भ्रमित हो जाये तथा वादी के पक्ष में आदेश पारित कर दे। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन गलत किया गया है। दावा चलने योग्य नहीं है। न्यायालय को गुमराह कराकर वाद दायर किया

गया है। वादी मुकदमा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से भी धोखा किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद व प्रार्थना पत्र 6सी2 खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या–5 के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश यादव की ओर से आपत्ति करते हुए मौखिक रूप से कथन किया गया है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं आया है तथा न्यायालय को धोखा देकर वाद दायर किया गया है। वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन पर्याप्त अदा नहीं किया गया है। वादी न्यायालय के समक्ष किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद व प्रार्थना पत्र 6सी2 खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क पूर्ण बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त 9सी1 से चार किता कागजात दाखिल किये गये हैं, जिसमें वादी की ओर से उद्धरण खतौनी कागज संख्या 10सी1/1 लगायत 10सी1/2, खसरा कागज संख्या 11सी1/1 लगायत 11सी1/2 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादी दिलशाद गाटा संख्या 1020क/1 रकबा 0.0550 है0 का मालिक व कब्जेदार हैं। वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में छाया प्रति राजस्व नक्शा कागज संख्या 12सी1 मकसूदपुर, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या 1020 बड़ा नम्बर है, जो कि मिनजुमला है, जिसमें कई व्यक्ति हिस्सेदार हैं। वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में एक किता प्रार्थना पत्र श्रीमान उपजिलाधिकारी कागज संख्या 13सी1 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी दिलशाद के द्वारा दिनॉक 03.01.2018 को उपजिलाधिकारी, जलेसर, एटा के समक्ष सार्वजनिक नाला के पानी को तालाब में खुलवाने के लिए तथा प्रार्थी के घर को जाने वाली एक मात्र रास्ता में हस्तक्षेप करने से प्रधानपति बाबू खॉ व उसके परिवार के व्यक्ति इन्शा अल्लाह पुत्र शकूर खॉ, फरूददीन पुत्र कल्लू खॉ, अब्दुल रहीम पुत्र फरूददीन, भूरा पुत्र सलीम निवासीगण मकसूदपुर थाना जलेसर, एटा के विरूद्ध दिया, जिसपर उपजिलाधिकारी महोदय, जलेसर, एटा के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जॉच करें कि, ''एस0एच0ओ0 जलेसर व आर0आई0 लेखपाल जॉच करें, यदि प्रार्थी का कथन सहीं है तो विपक्षी प्रार्थी के रास्ते में हस्तक्षेप न करें।,''

वादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त 47सी1 से एक किता फोटो कापी प्रार्थना पत्र दिनॉक 25.09.2018 कागज संख्या 47सी1/2 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रार्थना पत्र मुजाहिद अली खॉ पुत्र फारूक अली, स्वाले खॉ पुत्र विसाल मुहम्मद, बाबू खॉ पुत्र शहजाद खॉ, परवेज पुत्र तौफीक व इफराक पुत्र इस्लाम खॉ की ओर से श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, एटा को प्रस्तुत किया गया है तथा ग्राम पंचायत मकसूदपुर के कब्रिस्तान व तालाब गाटा संख्या 1015 व 1016 पर किये गये अवैध कब्जा को हटवाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा दिलशाद पुत्र इन्त्याज अली, रहीसा बेगम पत्नी इश्त्याक अली, अखलाक, इकरार, वसीम, मौ0 खालिद, मौ0 जावेद, मौ0 आदिल, मौ0 इफराक पुत्रगण इश्त्याक अली के विरूद्ध दिया गया है, जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एस0डी0ओ0 (जे0) परीक्षण कर कार्यवाही करें, का आदेश दिया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 32सी1/1 लगायत 32सी1/2 उद्धरण खतौनी व राजस्व नक्शा 33सी1 तथा पहचान पत्र 34सी1 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या 994 व 995 पर अलीम खॉ पुत्र सलीम खॉ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा उसके साथ ही साथ अन्य कई खातेदारों का नाम भी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। अलीम खॉ पुत्र सलीम खॉ का नाम प्रतिवादी संख्या–5 के रूप में वाद पत्र में अंकित है। प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त 42सी1 से पॉच किता कागजात दाखिल किया गया है, जिसमें राजस्व नक्शा कागज संख्या 42सी1/1 दाखिल किया गया है तथा गाटा संख्या 1015 व 1016 को स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से खसरा कागज संख्या 42सी1/3, उद्धरण खतौनी कागज संख्या 42सी1/4 लगायत 42सी1/5 व खसरा कागज संख्या 42सी1/6 ग्राम मकसूदपुर, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा फसली वर्ष 1423 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह दर्शित होता है कि गाटा संख्या 1015/0.222 व गाटा संख्या 1016/0.202 से कब्रिस्तान व पोखर के रूप में है तथा गाटा संख्या 994 व 995 प्रतिवादी संख्या–6 शकील खॉ व समीर खॉ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर व कब्जेदार के रूप में अंकित है। साथ ही गाटा संख्या 994 व 995 में अन्य कई सह खातेदारों के नाम अंकित है। कागज संख्या 42सी1/7 शकील खॉ की ओर से आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है। प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से फेहरिस्त 58सी1 से 5 किता कागजात दाखिल किये गये हैं, जिसमें तहसीलदार जलेसर, एटा का आदेश दिनॉकित 14.08.2018 कागज

संख्या 58सी1/2 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार जलेसर, एटा के द्वारा नायब तहसीलदार जलेसर, एटा को यह आदेशित किया गया है कि, ''पोखर तक के 40 वर्ग मीटर पर इफराक अली पुत्र इस्त्याक अली द्वारा शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल बनाकर एवं 116 वर्ग मीटर पर दिलशाद अली पुत्र इन्त्याज अली द्वारा पक्की नींव एवं रास्ता बनाकर तथा 10 वर्ग मीटर पर इंशा अल्ला खॉ पुत्र शकूर खॉ द्वारा पक्की नॉद लगाकर एवं कब्रिस्तान की भूमि पर कई व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम मकसूदपुर, स्थित पोखर एवं कब्रिस्तान पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को पर्याप्त पुलिस बल व राजस्व टीम के साथ उपस्थित होकर हटवाना सुनिश्चित करें।,'' तहसीलदार जलेसर, एटा के आदेश दिनॉकित 14.08.2018 से यह स्पष्ट है कि ग्राम मकसूदपुर स्थित पोखर एवं कब्रिस्तान पर इफराक अली पुत्र इस्त्याक अली, दिलशाद अली पुत्र इन्त्याज अली एवं इंशा अल्ला खॉ पुत्र शकूर खॉ के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। प्रतिवादी संख्या–6 के द्वारा छायाप्रति नोटेरी द्वारा सत्यापित आख्या क्षेत्रीय लेखपाल दिनॉकित 06.08.2018 कागज संख्या 58सी1/3 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गाटा संख्या 1015/0.222 कब्रिस्तान व गाटा संख्या 1016/0.202 पोखर पर किन व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तथा कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है, उसके सम्बन्ध में आख्या दी गयी है, जिसमें इफराक अली पुत्र इस्त्याक अली निवासी मकसूदपुर द्वारा गाटा संख्या 1016 पोखर पर 40 वर्ग मीटर, दिलशाद पुत्र इन्त्याज अली निवासी मकसूदपुर द्वारा गाटा संख्या 1016 पर 36 वर्ग मीटर, 1015 पर 20 वर्ग मीटर, 1016 पर 60 वर्ग मीटर, जो कि पोखर व कब्रिस्तान है, पर पक्की नींव लगाकर तथा अपने घर तक रास्ता लेकर खरंजा लगा लिया है। इंशा अल्ला खॉ पुत्र शकूर खॉ निवासी मकसूदपुर द्वारा गाटा संख्या 1015 पर 6 वर्ग मीटर व 4 वर्ग मीटर कब्रिस्तान पर पक्की नॉद बनाकर भूंसा व बुर्झी लगा दिया है, जिससे यह साबित होता है कि वादी मुकदमा दिलशाद पुत्र इन्त्याज अली के द्वारा गाटा संख्या 1016 जो कि पोखर है पर 36 वर्ग मीटर में पक्की नींव लगाया गया है तथा गाटा संख्या 1016 में 60 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 1015 में 20 वर्ग मीटर कब्रिस्तान पर अपने घर के लिए रास्ता लाकर खरंजा लगा लिया है। प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कागज संख्या 58सी1/4 लगायत 58सी1/5 से छायाप्रति दावा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, एटा के आदेश दिनॉकित 29.08.2018 दाखिल किया गया है। साथ ही साथ प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में छायाप्रति प्रश्नोत्तरी मूलवाद संख्या 132/2018

दिनॉकित 14.09.2018 कागज संख्या 58सी1/6, एवं छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद आदेश दिनॉकित 18.07.2018 दाखिल किया गया है। प्रतिवादिनी संख्या–1 की ओर से अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त 48सी1 से 13 किता कागजात दाखिल किये गये हैं, जिसमें खसरा व उद्धरण खतौनी तथा राजस्व नक्शा कागज संख्या 48सी1/2 लगायत 48सी1/6 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या 1015 रकबा 0.222 व 1016 रकबा 0.202 है0 कब्रिस्तान व पोखर है तथा गाटा संख्या 1020 रकबा 0.996 पर इस्त्याक अली, दिलशाद खॉव बाबू खॉ स्वामी व कब्जेदार हैं। साथ ही प्रतिवादिनी संख्या–1 की ओर से राजस्व नक्शा दाखिल है, जिसके परिशीलन से स्पष्ट होता है कि गाटा संख्या 1016, 1015 व 1020 किन–किन स्थानों पर स्थित है, यह स्पष्ट किया गया है। प्रतिवादिनी संख्या–1 की ओर अपने कथनों के समर्थन में एक किता प्रार्थना पत्र कार्यालय उपजिलाधिकारी जलेसर, कागज संख्या 48सी1/7, एक किता प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय, जलेसर कागज संख्या 48सी1/8, खतौनी कागज संख्या 48सी1/9, एक किता आनलाइन सन्दर्भ जॉच आख्या कागज संख्या 48सी1/9 लगायत 48सी1/12, एक किता आख्या अवैध कब्जा हटाने का कागज संख्या 48सी1/13, एक किता रिपोर्ट कार्यालय तहसीलदार कागज संख्या 48सी1/14, एक किता रिपोर्ट कार्यालय तहसीलदार जलेसर, एटा कागज संख्या 48सी1/15 लगायत 48सी1/16 दाखिल किया गया है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादी दिलशाद पुत्र इमत्याज अली गाटा संख्या 1016 व 1015 पर जो कि कब्रिस्तान व पोखर है, पर अवैध कब्जा करके पक्की नींव लगाकर अपने घर के लिए रास्ता लगा लिया है, जिसको हटाने के लिए नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया है। लेखपाल की आख्या दिनॉक 12.04.2018 से भी स्पष्ट है कि दिलशाद पुत्र इमत्याज अली के द्वारा गाटा संख्या 1015 व 1016 में अवैध रूप से कब्जा कर रास्ता बना लिया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती सबीना के द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जॉच आख्या से स्पष्ट हुआ है कि वादी के द्वारा अवैध रूप से गाटा संख्या 1016 व 1015 पर कब्जा करके रास्ता बनाया गया है।

अस्थाई व्यादेश के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक अपने पक्ष में–(1)–प्रथम दृष्टया मामला, (2)–अपूर्णनीय क्षति, (3)–सुविधा का सन्तुलन, को साबित करे।

(1)–प्रथम दृष्टया मामला–अस्थाई व्यादेश के लिए वादी

को यह दर्शाना होगा कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तथा वादी को न्यायालय को सन्तुष्ट करना होगा कि उसके समक्ष सुनवायी/विचारण के लिए एक गम्भीर प्रश्न है तथा तथ्यों को देखते हुए इस बात की सम्भावना है कि वादी अनुतोष पाने का अधिकारी है और विनिश्चिय के लिए मामले में सारवान प्रश्न है और इस प्रश्न पर अन्तिम विनिश्चिय होने तक यथास्थिति बनाया रखा जाये। चूँकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा अपने अनुतोष में लोक मार्ग के बावत व्यादेश की याचना की गयी है, जिसको कि वादी ने नक्शा नजरी में क,ख,ग,घ से दर्शाया है। इस प्रकार वादी के अनुतोष से ही यह स्पष्ट होता है कि वादी सार्वजनिक/लोकमार्ग पर अस्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहता है। यदि वादी सार्वजनिक मार्ग अथवा लोक मार्ग पर किसी प्रकार का अनुतोष याचित करता है तो ऐसी स्थिति में वादी को ग्राम सभा को तथा राज्य सरकार को वाद में पक्ष मुकदमा बनाया जाना चाहिए था, परन्तु वादी के द्वारा न तो ग्राम सभा को न ही राज्य सरकार को पक्ष मुकदमा बनाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का मामला प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। पत्रावली पर कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या 15सी2/1 मय नक्शा 15सी2/2 दाखिल है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी ने जिस सार्वजनिक रास्ते के बावत अनुतोष याचित किया है, वह सार्वजनिक रास्ता तालाब व नाला के मध्य है, जिससे यह साबित होता है कि सार्वजनिक रास्ता तालाब व नाले में से होकर बना हुआ है, जिसके बावत अनुतोष याचित है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों से यह साबित होता है कि वादी के द्वारा उपरोक्त रास्ता अवैध रूप से निर्मित किया गया है तथा राज्य सरकार की सम्पत्ति को अवैध रूप से हड़प कर कब्जा कर लिया गया है। कमीशन रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी के मकान के पूरब में वादी का चबूतरा है तथा उसके सामने वादी के आवागमन के लिए रास्ता है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी के आवागमन के लिए रास्ता नहीं है, बल्कि वादी के आवागमन के लिए वादी के घर की पूरब की तरफ रास्ता बना हुआ है तथा प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों से यह साबित है कि वादी के द्वारा अवैध रूप से तालाब व कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है तथा रास्ता बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

(2)–अपूर्णनीय क्षति–अस्थाई व्यादेश के लिए यही दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि प्रथम दृष्टया आवेदक लिए मामला बनता है, अपितु आवेदक को न्यायालय को इस दृष्टि से समाधान करना होगा कि अगर अस्थाई व्यादेश न जारी किया गया है तो उसको अपूर्णनीय क्षति होगी। अगर ऐसा व्यादेश जारी नहीं किया गया है

तो उसका परिणाम होगा, वादी को वाद में मॉगे गये अधिकार से सर्वदा के लिए वंचित करना। चूँकि वादी अपने मामले को प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल है तथा प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों से यह साबित होता है कि वादी अवैध कब्जेदार है तथा वादी की ओर से गाटा संख्या 1015 व 1016 में जो कि तालाब व कब्रिस्तान है, रास्ता बना लिया है तथा नीम के पेड़ लगा लिया है। ऐसी स्थिति में यदि वादी को अस्थाई व्यादेश का अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है। अपितु वादी को अस्थाई व्यादेश का अनुतोष प्रदान किया जाता है तो प्रतिवादीगण को तथा राज्य सरकार व ग्राम सभा को अपूर्णनीय क्षति होगी।

(3)–सुविधा का सन्तुलन–अस्थाई व्यादेश जारी करते समय न्यायालय पक्षकारों के मध्य सुविधा के सन्तुलन को भी ध्यान में रखेगा तथा इस बिन्दु पर भी विचार करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि आवेदक द्वारा मॉगे गये व्यादेश को नही जारी किया जाये तो उसके परिणाम स्वरूप उसे होने वाली असुविधा, यदि व्यादेश जारी कर दिया जाये तो विपक्षी को होने वाली असुविधा से कहीं अधिक होगी। चूँकि प्रस्तुत मामले में वादी अपने मामले को प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहा है तथा वादी को किसी भी प्रकार से अपूर्णनीय क्षति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। यदि वादी को अस्थाई व्यादेश का अनुतोष प्रदान किया जाता है तो प्रतिवादीगण व राज्य सरकार तथा ग्राम सभा के साथ घोर अन्याय होगा। चूँकि प्रस्तुत मामले में दाखिल दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा कब्रिस्तान व तालाब पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सलीम भाई व अन्य प्रति महाराष्ट्र सरकार व अन्य 2003(1) 569 (सुप्रीम कोर्ट), तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था राकेश कुमार सिंह व अन्य प्रति सिविल जज (जू0डि0) कैसरगंज बहराइच व अन्य 2016(2) सी0ए0आर0 937 (इलाहाबाद) दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था जगपाल सिंह प्रति पंजाब सरकार, ए 0आई0आर0 2011 सुप्रीम कोर्ट 1123 तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था हिंच लाल तिवारी प्रति कमला देवी व अन्य, ए 0आई0आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3215** दाखिल की गयी है, जो प्रस्तुत मामले में पूर्ण रूप से लागू होती है तथा इसी सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि–व्यवस्था–State of U.P. vs. Roop Lal Sharma, 1997 (29) ALR 373 (SC)** का वर्णन किया

जाना युक्तियुक्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, ''जहॉ सार्वजनिक रास्ते पर अथवा किसी सार्वजनिक निर्माण व नाला पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, वहॉ पर अस्थाई व्यादेश प्रदान नहीं किया जा सकता है।, '' चूॅकि प्रस्तुत मामले में उभयपक्षों की ओर से दाखिल दस्तावेजों से यह साबित होता है कि वादी के द्वारा अवैध रूप से तालाब व कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। अतः वादी किसी भी प्रकार से अस्थाई व्यादेश का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा वादी व प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दस्तावेजों तथा विधि–व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि वादी अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है। वादी को किसी भी प्रकार से अपूर्णनीय क्षति नहीं हो रही है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 6सी2 पोषणीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

प्रार्थना पत्र 6सी2 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित करने वाद बिन्दु दिनॉक 31.10.2018 को पेश हो।

दिनॉक–25.10.2018

सिविल जज (जू0डि0)
जलेसर, एटा।